न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 102/2022 बउनवानी मो0इस्लाम खान बनाम लो.सू.अधि.एवं जिला रसद अधि.स0मा0
पुत्र नफूर खान एडवोकेट, निवासी स्टेशन रोड़ गंगापुर सिटी
GCMS No-2022/175

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
15.11.2022	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर की ओर से पैरोकार रसद उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 28.7.2022 को लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः– 1. प्रार्थी को आपके रसद विभाग से डिसपेज संख्या कमांक/अभियोग/557 दिनांक 30.3.2022 को जारी सुखवीर ग्राम महुकलां के निलम्बन आदेश के पश्चात किस आदेश से पुनः बहाल हुआ है कि प्रमाणित प्रति चाहिए। 2. सुखवीर सिंह बहाली आदेश के समर्थन में प्रवर्तन निरीक्षक की रिपोर्ट गंगापुर सिटी की प्रमाणित प्रति चाहिए। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी। नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार रसद ने कथन किया कि लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर के जवाब नोटिस कमांक/सूकाअ/2022/2977 दिनांक 14.11.2022 से अवगत कराया कि अपीलान्ट द्वारा दिनांक 26.7.2022 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर के पत्रांक 2976 दिनांक 14.11.2022 से अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार रसद द्वारा निवेदन किया गया। पैरोकार रसद द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 26.7.2022 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना जरिये पत्रांक 2976 दिनांक 14.11.2022 से अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है किन्तु लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलन्ट को उक्त सूचना अधिनियम की तय समय सीमा के उपरान्त उपलब्ध करवायी गयी है। अतः लोक सूचना अधिकारी [illegible] को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य मे उक्त अधिनियम के तहत प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों पर व्यक्तिगत ध्यान देते हुए अधिनियम की तय समय सीमा मे निस्तारण किया जावे। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख किया जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया। (सुरेश कुमार ओला) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.03.17 17:39:51 IST
Reason: SelfAttested